आवश्यक/समयबद्ध/तत्काल

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /सा0-1/160/विविध/2014-15 दिनांकः-

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति दिनांक 15.04.2015 की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में एफ0एम0डी0-सी0पी0(सामान्य), एफ0एम0डी0-सी0पी0(एस0सी0एस0पी0), नेशनल कण्ट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसेल्लोसिस (100 प्रति0के0पो0) एवं पशु रोग नियंत्रण योजना (सामान्य) तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों में क्रय की गयी वस्तुओं के नाम एवं उनकी मात्रा धनराशि सहित निदेशालय के सामान्य अनुभाग-1 में सहायक लेखाकार सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ दिनांक 15.04.2015 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिन मदों में सूचनाओं के साथ आना है। उनका विवरण निम्नवत् हैः-

मानक मद-11 लेखन सामग्री, 26-मशीन साज सज्जा, 29-अनुरक्षण, 39-औषधि तथा रसायन तथा 43-सामग्री और सम्पूर्ति

उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त संदर्भित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली से केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है। जिसके साथ उक्त मानक मदों की भौतिक प्रगति की सूचना का प्रेषण भी किया जाना हैं

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत संबंधित लेखाकार को निर्देशित करें कि उक्त संदर्भित योजनाओं से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ दिनांक 15.04.2015 को निदेशालय के सामान्य अनुभाग-1 में उपस्थिति होकर सूचना/विवरण उपलब्ध करायें।

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें यदि आपके जनपद अन्तर्गत उक्त निर्धारित तिथि को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

पत्रांक 13 /सा0-1/160/विविध/2014-15 दिनांकः- 10-05-2015

प्रतिलिपि-समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचनाओं के संबंध में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

2. श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे संबंधित विभागीय वेबसाइट तथा ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करें।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।